कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 438/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 20.11.2026

आजमगढ़ पुलिस की कार्रवाई में दो अभियुक्त गिरफ्तार

🔹 थाना निजामाबाद पुलिस ने 02 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा एवं बिक्री से प्राप्त 36,863 रुपये के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

🔹 थाना मेंहनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध असलहे के साथ वीडियो वायरल करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर प्रतिबंधित .303 बोर असलहा बरामद किया।

थाना निजामाबाद: दिनांक 19.11.2026 को उ0नि0 अखिलेश नारायण सिंह मय हमराह पुलिस बल क्षेत्र में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम बख्शपुर स्थित अभियुक्त के मकान पर दबिश देकर मनोज कुमार पुत्र स्व0 जलई निवासी ग्राम बख्शपुर, थाना निजामाबाद को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 02 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा एवं गांजा बिक्री से प्राप्त 36,863 रुपये बरामद हुए। इस संबंध में थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0-293/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना मेंहनगर: दिनांक 20.11.2026 को उ0नि0 मयंक नारायण सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध असलहे के साथ वीडियो वायरल करने वाले अभियुक्त अबुतलहा खान उर्फ अयान पुत्र मोहम्मद दानिश निवासी ग्राम मसीना, थाना घोसी, जनपद मऊ, वर्तमान पता वार्ड नं0 11 कस्बा मेंहनगर को लखराव पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर बलेलपुर मार्ग स्थित झाड़ियों से एक प्रतिबंधित .303 बोर असलहा बरामद किया गया। इस संबंध में थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0-386/26 धारा 3/7/25 आयुध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त:

1. मनोज कुमार निवासी ग्राम बख्शपुर, थाना निजामाबाद।
2. अबुतलहा खान उर्फ अयान निवासी ग्राम मसीना, थाना घोसी, जनपद मऊ।

कुल बरामदगी: 02 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, 36,863 रुपये एवं एक प्रतिबंधित .303 बोर असलहा।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमें: थाना निजामाबाद से उ0नि0 अखिलेश नारायण सिंह, का0 मनीष कुशवाहा, का0 प्रभाकर सहाय गुप्ता, का0 दीपक पासवान एवं का0 शाश्वत त्रिपाठी तथा थाना मेंहनगर से उ0नि0 मयंक नारायण सिंह, हे0का0 ओम प्रकाश राय एवं का0 रामबाबू शामिल रहे।

आजमगढ़ पुलिस की प्रभावी कार्रवाई में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

🔹 थाना सिधारी पुलिस ने काम दिलाने के नाम पर पीड़िता को ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

🔹 थाना बिलरियागंज पुलिस ने अलग-अलग न्यायालयों से जारी गैर जमानतीय वारंटों के तहत 04 वारंटियों को गिरफ्तार किया।

थाना सिधारी – दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

दिनांक 11.11.2026 को वादिनी द्वारा काम दिलाने के नाम पर पीड़िता को अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म किए जाने के संबंध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0-461/26 धारा 137(2), 87 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान मुकदमे में धारा 64(1), 115(2), 351(3), 87, 137(2) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। दिनांक 20.11.2026 को उ0नि0 बालेन्द्र कुमार यादव मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमे से संबंधित अभियुक्त जाफर अली पुत्र अब्दुल अजीज अली निवासी असम, उम्र करीब 25 वर्ष को होमगार्ड ग्राउंड सिधारी के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना बिलरियागंज – 04 वारंटी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 20.11.2026 को थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में थाना बिलरियागंज पुलिस ने विभिन्न न्यायालयों से जारी गैर जमानतीय वारंटों के तहत 04 वारंटियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार वारंटियों में विन्देश्वरी पुत्र रघुनाथ राम निवासी करमैनी, रामदास पुत्र श्यामदेव निवासी करमैनी, रामकेस पासी उर्फ केशव पासी पुत्र चन्द्रपति पासी निवासी दानशनिचरा तथा चन्द्रकला पत्नी राजेश निवासी बरामदपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ शामिल हैं। गिरफ्तार सभी वारंटियों को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमें
थाना सिधारी: उ0नि0 बालेन्द्र कुमार यादव, का0 शैलेन्द्र कुमार एवं का0 मनोज कुमार।
थाना बिलरियागंज: थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा, उ0नि0 गिरिजेश यादव, उ0नि0 हरिकेश राय, का0 नागेन्द्र यादव एवं रि0का0 नीलम देवी।

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 20.11.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 3 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 175000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना तहबरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे 3 अभियुक्तो प्रत्येक को आजीवन कारावास व 1,75,000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक-05.08.2008 को वादी मुकदमा श्री प्रेम नारायण तिवारी पुत्र राममूरत तिवारी खुटौली थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. रजनीकान्त उर्फ पिन्टू यादव पुत्र शिवचन्द 2. राम विनय उर्फ विनोद मौर्य पुत्र स्व0 पूर्णवासी निवासीगण शेरपुर, थाना निजामाबाद 3. रामपलट यादव पुत्र रामबेलास निवासी शिवरामपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ के द्वारा वादी के पिता राममूरत तिवारी को पुरानी रंजिश को लेकर अगवा कर हत्या कर देना व लाश को झुपा देना।

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0-279/2008 धारा-364,302, 34,201 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमे उपरोक्त मे 12 गवाहो को परीक्षित कराया गया।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक-20.11.2026 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. रजनीकान्त उर्फ पिन्टू यादव पुत्र शिवचन्द 2. राम विनय उर्फ विनोद मौर्य पुत्र स्व0 पूर्णवासी निवासीगण शेरपुर, थाना निजामाबाद 3. रामपलट यादव पुत्र रामबेलास निवासी शिवरामपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 1,75,000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।